# न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 442/2017

| अपीलाण्ट्स | बनाम | रेस्पोन्डेन्ट |
|---|---|---|
| भंवरलाल पुत्र स्व0 अमराराम जाति जाट निवासी नाडसर तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर | | 1– चेतनराम पुत्र प्रभुराम<br>2– निम्बाराम पुत्र केसाराम<br>3– मोहनराम पुत्र केसराम<br>समस्त जातियान जाट निवासीगण नाडसर तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर<br>4– तहसीलदार भोपालगढ जिला जोधपुर |

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–11–2015 जो न्यायालय अपर जिला कलेक्टर द्वितीय, जोधपुर द्वारा अपील संख्या 26/2015 मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री भूपत सिह जोधा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री जगदीश प्रजापत अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की ओर से ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4 की ओर से ।

## निर्णय

दिनांक 27–10–2017

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजा नाडसर के नामांतरकरण संख्या 927 को निरस्त करवाने के लिए प्रथम अपील पेश की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24–11–2015 को उक्त प्रथम अपील को खारीज कर दिये जाने पर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय विधिविरूद्ध एवं रेकर्ड के विपरीत पारित किया हुआ होने से निरस्त योग्य है ।

अपीलांट अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलाधीन भूमि का अनरजिस्टर्ड बेचान अपीलांट को कर दिये जाने तथा अपीलाधीन भूमि का कब्जा सुपुर्द कर दिये जाने के

बाद भी अपीलाधीन भूमि का रजिस्टर्ड बेचान करते हुए उक्त बेचान के आधार पर अपीलाधीन म्युटेशन बिना ग्राम पंचायम के समक्ष पेश किये ही तथा 45 दिन की समयावधि व्यतित हुए बिना ही तहसीलदार भोपालगढ ने स्वीकृत कर दिया तथा अपीलाधीन म्युटेशन स्वीकृति से पूर्व कब्जे बाबत कोई जांच नही की इसलिए अपीलाधीन म्युटेशन लेण्ड रेकर्ड रूल्स के प्रावधानो की पालना किये बिना विधिविरूद्ध स्वीकृत होने से उक्त नामांतरकरण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील को रेकर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजो को अनदेखी करते हुए खारीज करने मे विधिक भूल की है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 927 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन जो कि रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज के आधार पर भरा जाकर स्वीकृत किया गया है, तथा बेचान दस्तावेज मे कब्जा सुपुर्दगी का उल्लेख किया हुआ होने से रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर म्युटेशन स्वीकृति के समय कब्जे की जांच किया जाना आवश्यक नही है ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अपीलांट यदि अपीलाधीन भूमि के मौके पर अपने कब्जे के आधार पर अधिकार होना मानते है तो इसके लिए सक्षम न्यायालय मे अधिकारो की घोषणा का दावा पेश कर अपने अधिकारो का निर्धारण करवा सकता है तथा रेस्पो0 अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान फार्म नंबर 3 के सलग्न अपीलांट द्वारा अपने पक्ष मे अपीलाधीन भूमि के बेचान की अनरजिस्टर्ड लिखत के आधार पर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट पीपाडशहर के न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी. मे पारित निर्णय दिनांक 10–3–2016 की छायाप्रति पेश की, जिसमे प्रार्थी भंवरलाल का उक्त प्रार्थना पत्र खारीज किया जा चुका है । अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अपीलाधीन म्युटेशन तथा अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन किया । अपीलाधीन म्युटेशन जो कि रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज के आधार पर भरा जाकर स्वीकृत किया गया है, ऐसे मे रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज के अस्तित्व मे रहते अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 927 मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही है । इसके अलावा अपीलांट केवल अपीलाधीन भूमि पर अपना कब्जा

काश्त होना बताते है तो अपीलांट अपने कब्जे के आधार पर अपीलाधीन भूमि के संबंध मे नियमित वाद सक्षम न्यायालय मे पेश करने हेतु स्वतंत्र है ।

इसके अलावा अपीलाधीन भूमि के बेचान की अनरजिस्टर्ड लिखत के आधार पर अपीलांट ने सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट पीपाडशहर के न्यायालय मे जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी. का प्रस्तुत किया था जिसमे पारित निर्णय दिनांक 10–3–2016 की छायाप्रति वकील रेस्पो0 ने बहस के दौरान न्यायालय यहाजा मे पेश की है, जिसमे प्रार्थी भंवरलाल का उक्त प्रार्थना पत्र भी खारीज किया जा चुका है । ऐसे मे हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर द्वितीय, जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24–11–2015 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 27–10–2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर